निरीक्षण आख्या परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग–प्रथम

कार्यालय, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर के अवधि 07/2014 से 07/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा श्री शशि कान्त पाण्डेय, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनॉक 24.08.2016 से 05.09.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनन्द कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.07.2014 से 31.07.2014 तक श्री प्रेमचन्द्र, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 06/2012 से 06/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 07/2014 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

इस अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा–

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कपिल सिंह	दि0 21/08/12 से 28/07/15
2	श्री ओम प्रकाश	दि0 28/07/15 से लगातार

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो–अ	भाग दो–ब	STAN
41/2012–13	1, 2	–	–
57/2014–15	1	1, 2	–

(ब) सतत् अनियमिततायेंः – शून्य–

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): –शून्य–

(द) 2.बजटः –

(धनराशि रू0 में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	(+)	(–)
2013–14	152139	97964779	5351691	6036492	139706453	104145510	0	–132993060
2014–15	96056	47692428	8664193	8733306	96746410	140245830	0	–4219951
2015–16	374835	25496170	7073017	6874326	102623540	132289227	3595991	
योग	623030	171153377	21088901	21644124	339076403	376680567		–133617020

भाग–दो (ब)

प्रस्तर 1 : उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुपालन के फलस्वरूप ` 612.45 लाख का अनियमित व्यय।

The provisons of the Uttarakhand Procurement Rules, 2008 shall be applicable to all Govt. Departments, State (PSUs), statutory authorities, PRIs municipalities/ULBs, Govt. Societies and other entities, which are under the administrative control of the State Govt. for the purpose of procurement of goods works, services and for Public Private Partnership arrangements in infrastructure and service delievery projects.

Further, the provisions of these rules shall have effect not with standing anything inconsistent therewith contained in any other rules and orders for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any rules and orders other than these rules. Furthermore, section 43 of the aforesaid rules also prescribes that open tender will be called for works costing above ` 500000/–

निगम के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य Construction of various residential buildings at Govt. Ayurvedic Hospitals, Majhola US Nagar की वित्तीय स्वीकृति ` 37.08 लाख की प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध निर्माण कार्य पर निगम द्वारा ` 35.78 लाख का व्यय हुआ। उक्त कार्य की प्रथम किस्त ` 25.80 लाख /Ch. No. 4C 576880 दिनांक 24.02.2011 विभाग को प्राप्त हुई। स्वीकृत आंगणन में वर्णित वाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य सम्प्रेक्षा तिथि तक अपूर्ण है समस्त निर्माण कार्य विभिन्न ठेकेदारों से कार्यदर के कोटेशन प्राप्त कर Work order baris पर कराये गये। जबकि उक्त कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में विहित प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित कर कराये जाने चाहिए थे। यह भी जांच में पाया गया कि महेश सिंह यादव को दिनांक 14.02.13 को ` 12740 का भुगतान (कार्यालय भवन के किराये के रूप में) निर्माण कार्य के मद से किया गया।

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर विभागीय उत्तर में बताया गया कि कोटेशन के आधार पर कार्य प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पत्रांक 2276/निर्माण विंग अनु./प्रशा. अधिकार/01 दिनांक 22.12.10 के अनुपालन में किया गया और श्री महेश सिह यादव को कार्यालय

भवन के किराये की धनराशि ` 12740.00 का भुगतान योजना के Contingency मद से किया गया है।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि प्रथमतः उक्त निर्माण कार्य प्रबन्ध निदेशक के उक्त पत्र दिनांक 22.10.10 के उपरान्त एवं योजना की प्रथम किस्त ` 25.80 लाख प्राप्ति दिनांक 26.02.11 के उपरान्त शुरू हुआ है और उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 दिनांक 01.05.2008 से प्रभावी थी जो पेयजल निगम पर भी समान रूप से लागू थी।

इसी प्रकार एक अन्य निर्माण कार्य Construction of 255 Boys Hostel at G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pant Nagar के प्रकरण में (शासनादेश संख्या 904/XIII–11/72 (2)/06 दिनांक 04.12.2007 के द्वारा स्वीकृत प्रारम्भिक आंकलन ` 470.30 लाख एवं शा.स. 364/XIII (11)/2013– 72 (OL)/2006 दिनांक 27.03.2013 के द्वारा पुनरीक्षित ` 589.45 लाख) ` 576.67 लाख व्यय कर उक्त निर्माण कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निविदा आमंत्रित कराकर नहीं कराया गया अपितु कोटेशन/Work order basis पर कराया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य 09.07.2008 से शुरू हुआ।

इंगित किये जाने पर विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रबंधन निदेशक के पत्र दिनांक 22.12.10 के आलोक में उक्त कार्य कराया गया।

चूंकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली दिनांक 01.05.2008 से प्रभावी थी अतः विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है। उक्त अनुपालन के कारणस्वरूप विभाग प्रतिस्पर्धाजनित लाभों से वंचित रहा।

उपरोक्तानुसार ` 612.45 लाख (35.78 + 576.67) का अनियिमत व्यय (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुपालन में) का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2:– ` 41.53 लाख के कार्यो में भिन्नता एवं ` 9.19 लाख के कार्यो को नहीं कराया जाना।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करने वाला अधिकारी अनुबन्ध परिणामों में भिन्नता होने की स्थिति में अधिकतम 20 प्रतिशत तक भिन्नता को ही अनुमोदित कर सकता है। इससे अधिक भिन्नता होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता अधिकारी को अपने से उच्च अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथ ही उक्त कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व इस भिन्नता की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भवन रूद्रपुर के निर्माण कार्य हेतु ` 194.39 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (दिनांक 30.09.14)। स्वीकृत निविदा के आधार पर मैसर्स शर्मा कन्सट्रक्शन को ` 161.42 लाख की लागत से उक्त निर्माण कार्य को दिनांक 24.11.14 को प्रारम्भ कर दिनांक 23.05.16 तक पूर्ण करना था। उक्त निर्माण कार्य में ` 28,16,327 के कार्य 20 प्रतिशत की अधिक की भिन्नता से कराये गये। ` 13,36,364 के कार्य अनुबन्ध में दर्शायी गयी मात्रा से कम किये गये एवं ` 9,19,839 के कार्य ऐसे थे जो किये ही नहीं गये। इस अधिक कराये गये कार्य, कम कराये गये कार्य एवं न नहीं कराये गये कार्यो के सम्बन्ध में इकाई द्वारा उच्च अधिकारी से कोई पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गयी। विवरण निम्नवत है।

(1) अनुबन्ध से अधिक मात्रा में किये गये कार्यों का विवरण।

S.No	**Particulars as per bond**	**Unit**	**Qnt. As per Bond**	**Qnt. As per M.B.**	**Differenc**	**Rate**	**T. Amt.**	**Diff. in percentage**
4	Supplying and filling of Yamuna sand	Cum	205	582.96	377.96	855	323156	184.37
16	Brick work with F.P.S.	Cum	128	207.72	79.72	5354	426821	62.28
17	Half brick masonry with F.P.S.	Sqm	458	626.39	168.39	652	109790	36.77
18	Extra for providing and placing	Sqm	458	626.39	168.39	75	12629	36.77
22	Providing and fixing pressed steel door	Meter	150	300.90	150.90	340	51306	100.60
23	Providing and fixing pressed steel door	Meter	250	521.85	271.85	400	108740	108.74
24	Steel work welded in built up section	Kg	2884	4026.600	1142.6	93	106262	40
25	Providing and fixing hand rail of	Kg	294	508.200	214.20	93	19921	72.85
31	Providing and fixing of glass panes	Sqm	113	173.68	60.68	685	41566	53.69
34	12 mm cement plaster of mix 1:6	Sqm	1180	2613.49	1433.49	128	183486	121.48
36	12 mm cement plaster finished with	Sqm	98	410.02	312.02	170	53043	318.38
39	Providing and laying vitrified floor	Sqm	199	843.33	644.33	1420	914949	323.78
40	Providintg and fixing Ist quality	Sqm	136	224.02	88.02	875	77017	64.72

42	Providing and laying pressed clay	Sqm	43	69.21	26.21	555	14546	60.95
44	Cement concrete flooring 1:2:4	Sqm	95	194.30	99.30	316	31379	104.52
46	Providing and laying integral cement	Sqm	398	609.40	211.40	870	184179	53.12
47	Providing gola 75x75 mm in cement	Meter	110	219.71	109.71	239	26221	99.74
52	Distempering with oil bound	Sqm	2494	3161.06	667.06	92	61369	26.75
57	Providing and fixing white vitreous	Cum	2	4	2	4850	9700	100
80	Providing and fixing G.I.	Meter	35	308.85	273.85	220	60247	782.43
Total							**28,16,327**	

(2) अनुबन्ध में दर्शाये गये कार्य जो कम मात्रा में किये गये।

S.No	**Particulars as per bond**	**Unit**	**Qnt. As per Bond**	**Qnt. As per M.B.**	**Differenc**	**Rate**	**T. Amt.**	**Diff. in percentage**
2	Filling available excavated earth	Cum	688	406.45	281.55	76	21398	40.92
3	Supply and filling in area with	Cum	1145	45.91	1099	300	329700	95.99
7	Providing and laying in position	Cum	8	0.75	7.25	5010	36323	90.63
11	Centring and Shuttering for foundation	Sqm	505	153.21	351.79	170	59804	69.66
21	Supply and filling of fly ash	Cum	10	4.96	5.04	700	3528	50.4
29	Providing and fixing fly proof	Sqm	113	56.21	56.79	550	31235	50.25
33	6 mm cement plaster of mix	Sqm	1450	940.26	509.74	112	57091	35.15
35	15 mm cement plater on	Sqm	2034	1313.99	720	150	108000	35.39
37	Kota stone slabs 25 mm thick	Sqm	400	15.52	384.48	1035	397936	96.12
38	Marble stone flooring with 18 mm	Sqm	150	111.46	38.54	1732	66751	25.69
45	Providing and fixing glass strips in	Meter	238	147.37	90.63	38	3444	38.07
53	Finishing walls with textured	Sqm	2034	1313.99	720.01	136	97921	35.40
54	Painting with synthetic enamel	Sqm	845	456.69	388.31	105	40773	45.95
61	Providing and fixing white vitreous	No	12	8	4	4029	16116	33.33
69	Providing and fixing soil,	Meter	95	39.10	55.90	956	53440	58.84
84	Providing and fixing C.P.	No	20	15	5	900	4500	25
96	Supply and filling of brick	Cum	16	6.87	9.13	950	8674	57.06
							13,36,634	

(3) अनुबन्ध में दर्शाये गये कार्य जो नहीं कराये गये।

S.No	**Particulars as per bond**	**Unit**	**Qnt. As per Bond**	**Rate**	**T. Amt.**
13	Providing and laying damp-proof course	Sqm	58	290	16820
14	Applying a coat of residual petroleum	Sqm	58	128	7424

20	Brick on edge flooring with brick of class	Sqm	30	635	19050
26	Providing and fixing stainless steel	Kg	150	800	120000
28	Providing and fixing ISI marked	Sqm	28	1365	38220
30	Providing and fixing 35 mm thick	Sqm	8	3995	31960
32	Providing and fixing aluminium door	Sqm	5	3750	18750
43	Providing and laying 60 mm thick factory	Sqm	168	660	110880
55	Providing and fixing at all height false ceiling	Sqm	285	842	239970
56	Providing wood work in frames of doors	Cum	10	4272	42720
70	Providing and fixing soil, waste and vent pipe	Meter	70	790	55300
71	Providing and fixing soil, waste	Meter	20	550	11000
74	Providing and fixing S.C.I. Horn tee	No	8	700	5600
75	Providing and fixing S.C.I. Horn tee	No	8	600	4800
76	Providing and fixing bend	No	10	430	4300
77	Providing and fixing bend/plain bend	No	10	290	2900
81	Providing and fixing G.I. pipe	Meter	75	255	19125
85	Providing and fixing C.O. brass shower	No	4	900	3600
86	Providing and fixing gun metal	No	8	600	4800
87	Providing and fixing gun metal	No	5	700	3500
90	Constructing masonry Chfamber	No	10	9775	97750
92	Providing, laying and jointing	Meter	54	185	9990
93	Providing, laying and jointing	Meter	58	288	16704
94	Providing, laying cement concrete	Meter	54	234	12636
95	Providing, laying cement concrete	Meter	58	380	22040
Total					**9,19,839**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्य स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार कुछ कार्य अनुबन्ध से 20 प्रतिशत अधिक एवं कम कराये गये हैं।

विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि कार्य स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार यदि 20 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता आवश्यक थी तो उसकी पूर्वानुमति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए था। साथ ही अनुबन्ध में दर्शाये गये कार्य जो कराये ही नहीं गये एवं इन कार्यो को नहीं कराने की कोई स्वीकृति ही प्राप्त की गयी के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः ` 41.53 लाख के कार्यो में भिन्नता एवं ` 9.19 लाख के कार्यो को नहीं कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र